अध्याय–14

सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति

जब सदस्य राज्य सभा के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित होते हैं तब उनसे आशा की जाती है कि वे उस स्थिति को छोड़कर जब वे अपरिहार्य कारणों से सभा से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाएं, सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उसकी कार्यवाही के समय उपस्थित रहेंगे।

संवैधानिक उपबंध

संविधान में उपबंध किया गया है कि यदि संसद् का कोई सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों (बैठकों) से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।[1] किन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित रहता है या निरंतर चार दिनों से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।[2]

संविधान में उल्लिखित साठ दिन की अवधि का अर्थ साठ दिन की निरंतर अवधि है और संविधान के उपबंधों का तभी प्रयोग होगा जब अनुपस्थिति लगातार रही हो। अनुपस्थिति की अवधि की गणना उस दिन से शुरू होती है जिस दिन सदस्य सभा की बैठक में अनुपस्थित रहता है और उस दिन खत्म होती है जिस दिन सदस्य सभा में उपस्थित होता है चाहे वह दिन उसी सत्र का हो या अगले सत्र या सत्रों का हो। इस गणना में सत्र के बीच के उन दिनों को शामिल किया जाता है जब सभा की बैठक नहीं होती किन्तु यदि इस गणना में सभा के सत्रावसान या स्थगन की अवधि लगातार चार दिन से अधिक होती है तो उसे शामिल नहीं किया जाता।

यह संवैधानिक उपबंध केवल निदेशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। चूंकि यह उपबंध एक समर्थकारी शक्ति के रूप में है इसलिए सभा किसी सदस्य की साठ दिन से अधिक की अनुपस्थिति को माफ करने में सक्षम है।

उपस्थिति पंजी (अटेन्डेन्स रजिस्टर)

संविधान में विशेष रूप से जो उक्त उपबंध किया गया है उसे देखते हुए सदस्यों के लिए एक उपस्थिति पंजी रखना आवश्यक हो गया है। ऐसी पंजी सचिवालय द्वारा रखी जाती है ताकि उसमें सदस्यगण अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। सभा में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन पंजी पर हस्ताक्षर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। सदस्यों की सुविधा के लिए इस समय उपस्थिति पंजी को 4 भागों में बांटा गया है जिनमें निम्नलिखित विभाजन संख्याएं हैं अर्थात्: (1) विभाजन संख्या 1 से 61, (2) विभाजन संख्या 62 से 127, (3) विभाजन संख्या 128 से 195 और (4) विभाजन संख्या 196 से 250। प्रत्येक भाग को सभा के सभाकक्ष (लॉबी) में एक अलग पीठिका पर रखा जाता है। सदस्यों को प्रत्येक सत्र के आरंभ में राज्य सभा संसदीय समाचार में एक पैरा के द्वारा इस व्यवस्था के बारे में सूचित किया जाता है।[3] जब तक सभा की बैठक चलती रहती है तब तक पंजी पीठिका पर ही रखी रहती है।

प्रतिदिन सभा के स्थगित होने के बाद सभी चार भागों को एकत्र किया जाता है और उनके आधार पर लॉबी में रखी गई एक समेकित उपस्थिति पंजी में अंग्रेजी के ''पी'' अक्षर द्वारा सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। जब कोई सदस्य लिखित रूप में सूचित करता है कि अमुक दिन सभा में उपस्थित रहने पर भी वह उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करना भूल गया था तब पंजी में उसकी उपस्थिति दर्ज न करके उसके मूल कथन को संबंधित उपस्थिति पत्र के साथ नत्थी कर दिया जाता है। इससे सदस्यों की उपस्थिति के पूरे अभिलेख का पता चल जाता है और सदस्यों की निरंतर अनुपस्थिति का हिसाब लगाने में सहायता मिलती है।

उपस्थिति पंजी को मूलत: सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करने की एक अनौपचारिक और सुविधाजनक व्यवस्था के रूप में आरंभ किया गया था किन्तु 9 जून, 1993 से वह एक सांविधिक आवश्यकता बन गई है। संसद्-सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में जोड़े गए एक नए परंतुक में कहा गया है:

> ''परंतु कोई सदस्य उपरोक्त भत्ते (अर्थात् दैनिक भत्ते) का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह लोक सभा या, यथास्थिति, राज्य सभा द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर पर सभा के सत्र के उन सभी दिनों को हस्ताक्षर नहीं करेगा (बीच में पड़ने वाले अवकाश के दिनों के सिवाय जब इस प्रकार हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है) जिनके लिए भत्ते का दावा किया गया है।''

अत: किसी सदस्य को दैनिक भत्ते का भुगतान तभी किया जा सकता है जब उसने पंजी (रजिस्टर) पर हस्ताक्षर कर दिए हों।[4] अधिनियम में जो स्पष्ट उपबंध किया गया है उसे देखते हुए यह प्रथा शुरू की गई है कि सदस्यों की उपस्थिति का दैनिक विवरण सचिवालय के वेतन तथा लेखा कार्यालय और सदस्यों का वेतन तथा भत्ता विभाग को भेजा जाए ताकि सचिवालय सदस्यों के दैनिक भत्तों के दावों का निपटान कर सके।[5]

सदस्यों को उनकी उपस्थिति से संबंधित संवैधानिक उपबंध का स्मरण दिलाने के लिए भी पंजी का उपयोग करने में सुविधा होती है। जैसे ही सभा की अनुमति के बिना किसी सदस्य की अनुपस्थिति चालीस दिनों की हो जाती है, सचिवालय उसे इस बात की जानकारी देता है ताकि वह समय पर अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन कर सके। यदि अनुपस्थिति की अनुमति के लिए सदस्य का आवेदन समय पर प्राप्त नहीं होता तो उसकी अनुपस्थिति की अवधि पचास दिन हो जाने पर उसे एक स्मरण-पत्र भेजा जाता है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के सभा की बैठकों से निरंतर साठ दिन या उससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसका ध्यान संवैधानिक उपबंध और संबंधित नियमों की ओर दिलाया जाता है और उसे सलाह दी जाती है कि वह संबंधित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन दे जिसमें उसके अनुपस्थित रहने के कारणों का उल्लेख हो।

अनुपस्थिति की अनुमति देने की प्रक्रिया

जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (4) के अधीन सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहता है, उसके लिए यह अपेक्षित है कि वह इस संबंध में आवेदन दे और उसमें यह उल्लेख करे कि उसे सभा की बैठकों से कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।[6] सदस्य से विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि वह अनुपस्थिति की अनुमति के लिए निवेदन करेगा। सदस्य के ऐसे पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती जिसमें सिर्फ यह सूचित किया गया हो कि वह सत्र की बैठकों में अनुपस्थित रहेगा किन्तु जिसमें उसके लिए अनुमति नहीं मांगी गई हो।[7]

यह आवश्यक है कि अनुपस्थिति की अनुमति का आवेदन राज्य सभा के सभापति को संबोधित किया जाए। यह आवश्यक है कि आवेदन सदस्य द्वारा किया जाए, उस पर हस्ताक्षर भी सदस्य द्वारा किया जाए और वह सभापति को संबोधित हो। किन्तु कुछ अवसरों पर तार[8] या समुद्री तार[9] के आधार पर भी अनुपस्थिति की अनुमति दी गई है।

कभी-कभी किसी सदस्य द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति का आवेदन सभापति की बजाय महासचिव को संबोधित करने पर भी ऐसे आवेदन को ग्रहण कर लिया गया है।[10] जब कोई सदस्य स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण स्वयं आवेदन करने में असमर्थ है और कोई दूसरा सदस्य उसकी ओर से आवेदन करता है तो उस स्थिति में भी उसके आवेदन को ग्रहण कर लिया गया है और उस आधार पर सदस्य को अनुमति दी गई है।[11] तथापि, एक ऐसे मामले में जब एक अस्वस्थ सदस्य के सलाहकार ने, सदस्य की ओर से अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन किया तब उस सलाहकार को सूचित किया गया कि अनुपस्थिति की अनुमति के आवेदन पर सदस्य को स्वयं हस्ताक्षर करना चाहिए और सलाहकार ने आवेदन पर सदस्य के हस्ताक्षर करा कर उसे भेजा।[12]

संवैधानिक उपबंध को देखते हुए सदस्य जिस अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति चाहता है वह साठ दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यदि यथार्थत: देखा जाए तो संवैधानिक उपबंध के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि साठ दिन से कम अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति ली जाए। किन्तु सदस्य बचाव की दृष्टि से साठ दिन की अधिकतम अवधि तक पहुंचने की प्रतीक्षा न करके अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन कर देते हैं। एक सुझाव दिया गया था कि राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 214 में, जो अनुपस्थिति की अनुमति के संबंध में है, विशिष्ट रूप से उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि अनुपस्थिति की अनुमति का आवेदन कभी भी साठ दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं होना चाहिए। किन्तु नियम समिति ने सुझाव पर विचार तो किया किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया।[13] अत: सामान्यत: अनुपस्थिति की अनुमति विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दी गई है जैसे किसी वर्ष में किसी महीने के आरंभ या अंत के लिए,[14] सत्र के दौरान किसी विशिष्ट तारीख के बाद के लिए[15] या कई बैठकों, सप्ताहों या दिनों[16] या सत्र के किसी भाग के लिए[17] या भूतलक्षी प्रभाव से पिछले सत्रों में अनुपस्थिति के लिए।[18]

वर्तमान प्रथा यह है कि सामान्यत: अनुमति समूचे सत्र के लिए दी जाती है। सिर्फ उसी मामले में सभा के समक्ष अनुमति का आवेदन रखा जाता है जब मांगी गई अनुमति किसी सत्र में दस दिनों से अधिक की अवधि के लिए हो।[19] यदि कोई सदस्य सत्र के किसी भाग के लिए अनुपस्थिति की अनुमति मांगता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन सभा के समक्ष नहीं रखा जाता। जब वह एक दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए सत्र में उपस्थित हो चुका हो[20] या उसकी अनुपस्थिति कुल मिलाकर साठ दिन या उससे अधिक न होने वाली हो। यदि अनुपस्थिति की अनुमति सत्र के एक भाग के लिए मांगी जाती है तो कभी-कभी आवेदन लंबित रखा जाता है और उसे सभा के समक्ष तभी रखा जाता है जब सदस्य विनिर्दिष्ट अवधि के बाद सभा में उपस्थित नहीं होता।[21] यदि कोई सदस्य किसी शर्त के साथ अनुमति मांगता है अर्थात् वह उस मामले में अनुमति मांगता है जब वह सत्र के दौरान किसी विशिष्ट तारीख तक सत्र में उपस्थित न हो सके तो आवेदन तब तक लम्बित रखा जाता है जब तक वह विनिर्दिष्ट तारीख तक उपस्थित नहीं होता या जब तक उससे आगे कोई और सूचना प्राप्त नहीं हो जाती और यदि वह उपस्थित होने में विफल रहता है तो अनुमति दिए जाने के लिए उसके आवेदन को सत्र के आखिरी दिनों में सभा के समक्ष रखा जाता है।[22]

अनुपस्थिति के लिए आवेदन करते समय सदस्य साधारणतया उस कारण का उल्लेख करता है जिसके आधार पर अनुमति मांगी गई है। सदस्यों द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति जिन कारणों के आधार पर मांगी गई है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(1) अपनी बीमारी;

(2) परिवार में बीमारी, दुर्घटना, विपत्ति, मृत्यु, विवाह या अंत्येष्टि, आदि;

(3) विदेश यात्रा—व्यावसायिक कार्य के लिए या सम्मेलनों में या संयुक्त राष्ट्र संघ/संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की बैठकों में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए, अध्ययन के लिए या पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, आदि;

(4) चिकित्सक, कलाकार आदि के रूप में व्यावसायिक कार्य में व्यस्त रहना, आदि;

(5) गिरफ्तारी/निरुद्ध किया जाना;

सभा में यह औचित्य प्रश्न उठाए जाने पर कि क्या जेल जाने वाले सदस्यों को भी अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है, सभापति ने ''हां'' में अपना निर्णय देते हुए यह टिप्पणी की: ''चाहे वे किसी भी कारण से उपस्थित होने में असमर्थ हों, उन्हें अनुमति दी जा सकती है।''[23] आपातकाल के दौरान कई सदस्यों के निरुद्ध किए जाने के कारण उन्हें अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई। एक निरुद्ध सदस्य को ''सत्र में उपस्थित होने के लिए उसे तिहाड़ जेल, दिल्ली को स्थानांतरित न किए जाने के कारण'' अनुपस्थिति की अनुमति दी गई।[24]

(6) निजी या व्यक्तिगत कार्यों को निपटाना;[25]

(7) कुछ समस्याओं से ग्रस्त होना;[26]

(8) सार्वजनिक कार्यों में भारी व्यस्तता जैसे स्थानीय परिषद्, सम्मेलन, समिति आदि की बैठकों में भाग लेना आदि;[27]

(9) महत्त्वपूर्ण या अत्यावश्यक कार्य;[28]

(10) घरेलू अपरिहार्य स्थिति;[29]

(11) अपरिहार्य या बाध्यकर कारण या परिस्थितियां;[30]

(12) सदस्य के क्षेत्र में अशांति या अकाल की स्थिति जिसके कारण वहां उसकी उपस्थिति आवश्यक हो गई हो;[31]

(13) चुनाव याचिका/रिट याचिका के संबंध में उपस्थित होना;[32]

(14) उपस्थित होने में असमर्थता;[33]

यह प्रश्न उठाए जाने पर कि क्या कारणों का स्पष्टत: उल्लेख किया जाना चाहिए, सभापति ने टिप्पणी की कि उन्होंने आवेदन को पढ़ा है।[34] जब किसी सदस्य ने अपने गृह-नगर से अनुपस्थिति की अनुमति के लिए अनुरोध तो किया किन्तु उसके कोई कारण नहीं बताए तब सभापति ने सभा के समक्ष उसके आवेदन को पढ़कर सुनाया जिसके बाद अनुमति दे दी गई किन्तु सभापति ने यह टिप्पणी की कि कारण पर्याप्त नहीं हैं। सभापति की टिप्पणियां संबंधित सदस्य तक पहुंचा दी गईं।[35]

अनुपस्थिति की अनुमति के आवेदनों को निपटाया जाना

आवेदन प्राप्त होने के बाद सभापति आवेदन को यथाशीघ्र सभा के समक्ष पढ़कर सुनाता है। यह प्रश्नों

के समय के बाद या यदि सभा पटल पर कोई पत्र रखे जाने हों, तो उनके रखे जाने के बाद किया जाता है। किन्तु एक बार जब सत्र का अंतिम दिन था तब रात्रि को 9 बजकर 5 मिनट पर अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।[36] आवेदन को पढ़कर सुनाने के बाद सभापति पूछता है: ''क्या सभा अमुक सदस्य को अमुक अवधि के लिए सभा की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति देना चाहती है?'' यदि कोई भी सदस्य असहमति व्यक्त नहीं करता तो सभापति कहता है: ''अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है।'' किन्तु यदि असहमति का कोई स्वर सुनाई पड़ता है तो सभापति यह देखता है कि सभा की राय क्या है और उसके बाद वह सभा के निश्चय की घोषणा करता है। इस मुद्दे पर सभा में कोई चर्चा नहीं होती। सभा का निर्णय जान लिए जाने के पश्चात् सदस्य को यथास्थिति इस बात की सूचना दी जाती है कि अनुपस्थिति की अनुमति दी गई है या नहीं दी गई है।[37]

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियम सभापति से यह अपेक्षा करता है कि वह अनुमति के आवेदन को सभा में पढ़कर सुनाए। इससे सभा को अपनी इच्छा व्यक्त करने के पहले मामले से संबंधित तथ्यों की जानकारी मिलती है। एक सुझाव दिया गया था कि आवेदन को पढ़कर सुनाने की बजाय सभापति को सभा के समक्ष इस संबंध में प्रस्ताव रखना चाहिए और इसका यथार्थत: निश्चय करना चाहिए कि अनुमति देने के मामले में सभा की इच्छा क्या है। किंतु नियम समिति ने इस सुझाव पर विचार तो किया किन्तु वह उस पर सहमत नहीं हुई।[38] किसी सदस्य को अनुमति देने के मामले में सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं होता है और प्रस्तावों तथा संकल्पों के बारे में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह अनुमति के मामले में नहीं अपनाई जाती। अत: सभापति अनुमति के किसी आवेदन पर सभा में कोई औपचारिक प्रस्ताव रखे बिना उसके बारे में सभा की इच्छा का यथार्थत: निश्चय करता है।[39]

> तथापि, जब एक बार सभापति ने सभा को सूचित किया कि उन्हें एक सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है क्योंकि ''इस महीने रायपुर में एक सर्वोदय सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है जिसमें चोटी के नेताओं द्वारा भाग लिए जाने की आशा है और उन्हें उसे सफल बनाने के लिए उसके आयोजन की व्यवस्था देखने के अलावा पैसा भी इकट्ठा करना है।'' एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न किया कि क्या यह सभा के सत्र से अनुपस्थित रहने का कोई समुचित कारण है। सभापति ने कहा कि वे केवल पत्र की प्राप्ति के बारे में सभा को सूचित कर रहे हैं और वे इस संबंध में सभा के मत के अनुसार चलेंगे। इसके पश्चात् उन्होंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि ''वर्तमान सत्र के दौरान श्री एल॰ एन॰ दास को सभा की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।[40]

सभा के समक्ष अनुमति आवेदन पढ़कर सुनाने की वर्तमान प्रथा यह है कि सभापति समूचे अनुमति आवेदन को पढ़कर सुनाने की बजाय अनुमति मांगने के कारणों के सारांश के बारे में सभा को जानकारी देता है।[41] इस तरह से अनावश्यक ब्यौरे निकाल दिए जाते हैं, अनुमति के लंबे-चौड़े आवेदनों को संक्षिप्त कर दिया जाता है और मामले को अनुमति संबंधी आवेदन के सार्थक और संगत ब्यौरे तक ही सीमित रखा जाता है।

जहां तक सभा की इच्छा (प्लेज़र) जानने का संबंध है, एक सदस्य को स्वास्थ्य के आधार पर अनुपस्थित रहने की अनुमति देने के संदर्भ में उपसभापति ने कहा कि 'प्लेज़र' शब्द को बदलना आवश्यक है क्योंकि ''ऐसी अनुमति के लिए हमें 'प्लेज़र' शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।''[42] तद्नुसार सभापति के निदेश के अधीन वर्तमान प्रथा यह है कि पीठासीन अधिकारी सभा से पूछता है: ''क्या सभा अमुक सदस्य को अनुपस्थित रहने की अनुमति देती है?''[43]

अनुपस्थिति की अनुमति का न दिया जाना

अब तक एक ही ऐसा अवसर आया है जब राज्य सभा के किसी सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति

नहीं दी गई। 22 मार्च, 1976 को हुई राज्य सभा की बैठक में सभापति ने सभा को सूचना दी कि श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी, संसद्-सदस्य से, तारीख 1 मार्च, 1976 का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है:

> ''मुझे सूचित किया गया है कि राज्य सभा का अगला सत्र 8 मार्च, 1976 से शुरू होने वाला है। चूंकि मैं अब भी विदेश यात्रा पर हूं और सत्र की संभावित अवधि के दौरान स्वदेश वापस नहीं लौट सकूंगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे सभा के इस आसन्न सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।''

इसके बाद सभापति ने यह पूछा कि क्या सभा सदस्य को राज्य सभा के 95वें सत्र के दौरान सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति देना चाहती है। इस पर कुछ सदस्यों ने ''नहीं'' कहा जबकि कुछ अन्य सदस्यों ने ''हां'' कहा। प्रक्रिया के अनुसार मामले का निर्णय करने के लिए सभापति ने सभा की राय की जानकारी ली। यह देखते हुए कि कुछ सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं और कुछ नहीं, सभापति ने घोषणा की: ''सभा की राय यह है कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनुपस्थित रहने की अनुमति स्वीकार नहीं की जाती।'' किसी सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति न देने का यह पहला अवसर था। जैसाकि सभापति ने एक प्रश्न के उत्तर में टिप्पणी की, ''ऐसा राज्य सभा में पहली बार हुआ।''[44]

अनुपस्थिति के कारण सीट का रिक्त घोषित किया जाना

यदि कोई सदस्य सभा की बैठकों में साठ दिन या उससे अधिक दिन तक अनुपस्थित रहता है और उसे सभा द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति नहीं दी जाती तो सभा के नेता के या ऐसे किसी अन्य सदस्य के प्रस्ताव पर जिसे वह इस संबंध में अपने कृत्यों को सौंपे, उसका स्थान (सीट) रिक्त घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो महासचिव यह जानकारी राजपत्र में प्रकाशित कराएगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के हेतु कार्यवाही करने के लिए भेजेगा।[45]

अभी तक राज्य सभा में अनुपस्थिति के कारण सीट रिक्त होने का एक मामला हुआ है। उस सदस्य के मामले में जिसके संबंध में राज्य सभा में उसकी सीट (स्थान) रिक्त घोषित करने वाला प्रस्ताव सभा में 21 दिसंबर, 2000 को स्वीकृत हुआ था, सदस्य की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति 42 दिन की होने पर और पुन: अनुपस्थिति 51 दिन की होने पर और अंतत: राज्य सभा के 190वें सत्र तक उनकी अनुपस्थिति 58 दिन की होने पर उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (4) के परंतुक की ओर आकृष्ट किया गया था। जब उनकी कुल अनुपस्थिति 60 दिनों से अधिक हो गई और सदस्य की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो सभा के नेता के पास उनकी सूचना हेतु एक टिप्पण भेजा गया था। तत्पश्चात् संसदीय कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रस्ताव उपस्थित करने की अपनी मंशा संबंधी सूचना दी। तद्नुसार, इस संबंध में एक मद 21 दिसंबर, 2000 की संशोधित कार्यावलि में सूचीबद्ध की गई थी।

21 दिसंबर, 2000 को संसदीय कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने राज्य सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया:

> ''कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (4) के अनुसरण में राज्य सभा के सदस्य श्री बरजिंदर सिंह हमदर्द, जो सभा की सभी बैठकों से साठ दिनों की अवधि से अधिक समय से अनुपस्थित हैं, का स्थान एतद् द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है।''[46]

उपरोक्त प्रस्ताव के स्वीकृत होने के फलस्वरूप, यह तथ्य कि संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (4) के अनुरूप सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया गया, भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

कोई सदस्य चाहे कितने ही समय के लिए अनुपस्थित क्यों न रहे, वह स्वत: अपना स्थान रिक्त नहीं

करता, किंतु यदि वह साठ दिन की निरंतर अवधि के लिए (जिसमें सत्रावसान या स्थगन की वह अवधि शामिल नहीं है जो लगातार चार दिन से अधिक हो) अनुपस्थित रहता है तो सभा एक प्रस्ताव के द्वारा उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकती है। सभा ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। यद्यपि अनुच्छेद 101 के खंड (3) में उल्लिखित परिस्थितियों के कारण स्वत: रिक्ति हो जाती है। तथापि, अनुच्छेद 101(4) के अधीन अनुपस्थिति के कारण रिक्ति तभी होती है जब सभा सदस्य की सदस्यता समाप्त करना उचित समझे और स्थान को रिक्त घोषित कर दे।[47]

राज्य सभा ने 5 मई, 1987 को एक सदस्य को सभा के 142वें सत्र के दौरान अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की थी। जब 144वें सत्र तक सदस्य की कुल अनुपस्थिति चौवन दिन की हो गई, तब उन्हें एक पत्र भेजा गया जिसमें संविधान के उपबंध 101(4) की ओर उनका ध्यान दिलाया गया और उन्हें यह सलाह दी गई कि वे अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन करें। उनसे कोई उत्तर नहीं मिला। अगले सत्र में उनकी कुल अनुपस्थिति अस्सी दिन की हो गई। उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अत: सभा के नेता को उनकी सूचना के लिए और ऐसी कार्यवाही के लिए जो उनके विचार में आवश्यक हो, एक टिप्पण भेजा गया। सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के थे और इस पार्टी के नेता को भी इस मामले में सूचित किया गया। सभा के नेता ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया कि संबंधित सदस्य को यह स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए कि सभा की अनुमति के बिना उनके लंबे समय के लिए सभा में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अधीन कार्यवाही क्यों न की जाए और ऐसा स्पष्टीकरण मांगते हुए उनसे यह निवेदन किया जाए कि वे यह बताएं कि वे जुलाई, 1986 से सत्र में किन कारणों से अनुपस्थित रहे और साथ ही यह भी बताएं कि वे किन परिस्थितियों के कारण अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन नहीं कर सके। सदस्य की पार्टी के नेता ने भी अनौपचारिक रूप से यह कहा कि कार्यवाही आरंभ करने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। किंतु सदस्य की ओर से कोई उत्तर नहीं आया।[48] सूचना प्राप्त हुई कि 13 जनवरी, 1989 को सदस्य की हत्या कर दी गई थी।[49]

उपसभापति, सभा के नेता तथा मंत्रियों की अनुपस्थिति

उपसभापति सत्र के दौरान सभा की बैठकों में उपस्थित होने में जब भी असमर्थ होता है वह तद्नुसार सभापति को सूचित करता है। इससे सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभाध्यक्षों की तालिका के किसी सदस्य द्वारा सभा की अध्यक्षता की व्यवस्था होती है।

एक अवसर पर सभा के नेता को स्वास्थ्य खराब होने के कारण अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी। जब एक सदस्य ने यह कहा: ''उन्हें हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है''। तब उपसभापति ने टिप्पणी की: ''उन्होंने एक पत्र लिखा है।''[50]

मंत्रियों को दिल्ली से बाहर अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन या अन्य किसी आधार पर सभा की बैठकों में उनकी अनुपस्थिति के लिए सभा की अनुमति के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता। किंतु मंत्रियों को जब भी सत्र के दौरान लंबी अवधि के लिए अनुपस्थित रहना पड़ता है या विदेश यात्रा पर जाना होता है तब वे सभा के प्रति शिष्टाचार की दृष्टि से इस संबंध में सभापति को सूचित करते हैं।

मंत्रीगण बैठकों में थोड़े समय के लिए भी अनुपस्थित रहने के बारे में सभापति को सूचित करते हैं और इस बात की भी सूचना देते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उनके जिम्मे जो संसदीय कार्य होगा उसे निपटाने के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है।

मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्त किसी सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति

एक सदस्य को मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था किंतु उन्होंने राज्य सभा में अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन किया किंतु उसमें किसी कारण का उल्लेख नहीं किया। यद्यपि आवेदन को लेने में कोई रोक नहीं थी तथापि इस मामले में कोई पूर्वोदाहरण नहीं था और आवेदन को लंबित रखा गया। [51]

ऐसे सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति जिसने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं

यदि किसी सदस्य ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है तो संविधान में उल्लिखित शास्ति से बचने के लिए अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है।

डा॰ जाकिर हुसैन की पदावधि नामनिर्देशित सदस्य के रूप में 3 अप्रैल, 1952 को आरंभ हुई थी। उन्हें 14 जुलाई, 1952 को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी। उन्होंने 13 मई, 1952 को आरंभ हुए राज्य सभा के पहले सत्र के दौरान 11 अगस्त, 1952 को शपथ ली थी।[52] श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री सुन्दर सिंह भंडारी की पदावधि 3 अप्रैल, 1976 को आरंभ हुई। उन्होंने 28 फरवरी, 1977 को शपथ ली। इस अवधि के बीच उन्हें अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी। [53] 18 मई, 1976 को श्री भंडारी को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान किए जाने के बाद एक सदस्य ने सुझाव दिया कि यदि कोई कठिनाई न हो तो उपसभापति या कोई उपसभाध्यक्ष जेल में जाकर निरुद्ध सदस्य को शपथ दिला सकते हैं। सभापति ने टिप्पणी की:

> ''ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मामले में एक पूर्वोदाहरण है जब हमने अनुपस्थित रहने की अनुमति दी है। किन्तु आपने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जाएगा।''[54]

श्री आर॰ के॰ करंजिया को, जिन्हें 11 जनवरी, 1991 को राज्य सभा के लिए नामनिर्देशित किया गया था, राज्य सभा के 157वें सत्र के दौरान 22 फरवरी, 1991 को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी। उन्होंने 11 जुलाई, 1991 को प्रतिज्ञान किया। जब यह मुद्दा उठाया गया कि श्री करंजिया ने शपथ लिये बिना या प्रतिज्ञान किए बिना और उस पर हस्ताक्षर किए बिना अनुपस्थिति की अनुमति मांगी है तब उपसभापति ने निर्णय दिया कि सदस्य को शपथ लिए बिना या प्रतिज्ञान किए बिना भी अनुपस्थिति की अनुमति मांगने का हक है।[55]

इसी प्रकार सुश्री लता मंगेश्कर, जिन्हें 22 नवम्बर, 1999 को राज्य सभा के लिए नामनिर्देशित किया गया था, को राज्य सभा के 188वें सत्र के दौरान 6 दिसंबर, 1999 को अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई थी; उन्होंने 23 फरवरी, 2000 को शपथ ली थी।

ऐसे सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति जिसका त्याग-पत्र विचाराधीन है

कुछ सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हो रहे थे क्योंकि सभा की सदस्यता से उनका त्याग-पत्र सभापति के विचाराधीन था। यह अनुभव किया गया कि उनके त्याग-पत्रों को देखते हुए, जो सभापति के विचाराधीन थे, यह आवश्यक नहीं है कि उनको पत्र लिखकर उनका ध्यान लगभग चालीस दिन या उससे अधिक की उनकी अनुपस्थिति की ओर दिलाया जाए। [56]

अनुपस्थिति की अनुमति को रद्द किया जाना

एक सदस्य को एक सत्र के दौरान सभा की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी। किन्तु वह सत्र के दौरान सभा की बैठकों में उपस्थित हुए और उन्होंने एक पत्र में अनुरोध किया कि

अनुपस्थिति की जो अनुमति दी गई है उसे रद्द कर दिया जाए। अनुमति को इस प्रकार रद्द करने के संबंध में कोई उपबंध या पूर्वोदाहरण नहीं था और यह मत व्यक्त किया गया कि जिन दिनों के लिए सदस्य को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई है उन दिनों सत्र की बैठकों में उपस्थित होने के लिए उन पर कोई पाबंदी नहीं है और अनुमति को रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।[57]

अनुपस्थिति की अनुमति के दौरान दैनिक भत्ते का भुगतान

संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अधीन जिस सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति दी जाती है उसे अनुपस्थिति की अवधि में संसद् के सत्र के स्थान में निवास करने पर भी उस अवधि के लिए दैनिक भत्ता लेने का कोई हक नहीं होता। संसद्-सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 के परंतुक की अपेक्षानुसार भी स्पष्ट है कि किसी सदस्य द्वारा दैनिक भत्ते का दावा करने के लिए उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

सदस्यों की उपस्थिति के बारे में सूचना

किन्हीं विशिष्ट दिनों को सदस्य की उपस्थिति से संबंधित सूचना सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसे उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा अनुरोध करते समय सदस्य को यह उल्लेख करना पड़ता है कि यह सूचना उसे किस प्रयोजन के लिए चाहिए। अनुरोध स्वीकार कर लिए जाने पर उपस्थिति पंजी में से केवल उन्हीं दिनों के बारे में सूचना दी जाती है जब सदस्य ने पंजी पर वस्तुतः हस्ताक्षर किए हों।[58]

न्यायालयों को उपस्थिति पंजी में से सूचना उपलब्ध कराना

सदस्यों की उपस्थिति से संबंधित सभी अभिलेख महासचिव की अभिरक्षा में रहते हैं और उन्हें सत्र के दौरान सभा की अनुमति से और यदि सत्र नहीं चल रहा हो तो सभापति की अनुमति से ही किसी न्यायालय को उपलब्ध कराया जा सकता है।[59]

सत्र न्यायाधीश, कुड्डालूर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ कि उसे राज्य सभा की उपस्थिति पंजी में से 1 मार्च, 1963 से 15 मार्च, 1963 तक की अवधि के ऐसे प्रमाणित उद्धरण भेजे जाएं जिनमें राज्य सभा के सदस्य श्री आर॰ गोपालकृष्णन् की हाजिरी और उपस्थिति दिखाई गई हो। चूंकि उक्त अनुरोध की प्राप्ति के समय सभा का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए पंजी में से संगत उद्धरणों को विधिवत् प्रमाणित करके उन्हें सत्र न्यायाधीश को भेजे जाने की स्वीकृति सभापति द्वारा दी गई। उद्धरणों को 30 जनवरी, 1964 को भेजा गया और उपसभापति ने सभा को तद्नुसार सूचित किया।[60]

टिप्पणियां और संदर्भ

1. अनुच्छेद 101(4)
2. -वही- परंतुक
3. उदाहरण के लिए **देखिये** संसदीय समाचार (2), 18.11.1991
4. संसदीय समाचार (2), 10.8.1993
5. फा॰ सं॰ 5/2/93-एल॰ओ॰

6. नियम 214 (1)
7. फा॰ सं॰ 1/4/84-एल॰ओ॰ तथा 1/4/89-एल॰ओ॰
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.8.1953, कालम 296; 8.3.1954, कालम 1996-97; राज्य सभा वाद-विवाद, 4.9.1961, कालम 2912-13; 15.12.1972, कालम 113; 31.7.1975, कालम 4-5; 6.12.1978, कालम 146; 22.12.1992, कालम 296 और 14.2.1995
9. -वही- 15.5.1953, कालम 5993; 8.3.1954, कालम 1996; राज्य सभा वाद-विवाद, 2.8.1994, कालम 393; 17.8.1994, कालम 272-73 और 14.2.1995, कालम 263
10. फा॰सं॰ 1/4/91-एल॰ओ॰
11. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.12.1983, कालम 225-27 तथापि इस मामले में सभापति को बीमार सदस्य से एक तार प्राप्त हुआ
12. फा॰ सं॰ 1/4/91-एल॰ओ॰
13. नियम समिति (3) का कार्यवृत्त, 5.8.1981
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.5.1952, कालम 460-61 और 15.5.1953, कालम 5993
15. -वही- 19.12.1952, कालम 2450-51
16. -वही- 2.3.1953, कालम 1426; राज्य सभा वाद-विवाद, 10.8.1966, कालम 2137-38; 12.7.1979, कालम 155; 18.8.1972, कालम 142 और 21.8.1972, कालम 126
17. -वही- 11.8.1952, कालम 3731-32; 4.12.1952, कालम 905-06; 19.12.1952, कालम 2450-51; 2.3.1953, कालम 1426; 16.4.1953, कालम 3064; 19.3.1955, कालम 2437; 5.4.1955, कालम 3998; 3.9.1958, कालम 1918-19; 28.3.1961, कालम 123; 2.9.1965, कालम 2481-82; 17.8.1966, कालम 2876
18. -वही- 25.11.1953, कालम 321-22; राज्य सभा वाद-विवाद, 14.9.1957, कालम 5663-64 और 23.4.1958, कालम 178-79
19. -वही- 27.7.1994, कालम 224
20. फा॰ सं॰ 1/4/89-एल॰ओ॰ और 1/4/92 -एल॰ओ॰
21. -वही-1/4/84-एल॰ओ॰
22. -वही-1/4/89-एल॰ओ॰
23. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.12.1962, कालम 3734; और 26.3.1965, कालम 4685-86
24. -वही- 16.9.1991, कालम 10
25. -वही- 16.4.1953, कालम 3063-64; राज्य सभा वाद-विवाद, 14.12.1961, कालम 2390-91
26. -वही- 24.11.1953, कालम 177
27. -वही- 3.9.1954, कालम 1241; 29.5.1957, कालम 1018; 31.5.1957, कालम 2546; 15.6.1967, कालम 4072-73
28. -वही- 23.12.1954, कालम 3196; 15.3.1955, कालम 1954-55; 21.12.1956, कालम 3351; 20.8.1956, कालम 1652; 23.11.1972, कालम 210
29. -वही- 7.6.1967, कालम 2660-61
30. -वही- 14.9.1957, कालम 5663-64; 9.1.1976, कालम 86-87; 15.1.1976, कालम 257-58 और 12.3.1976, कालम 128
31. -वही- 17.9.1958, कालम 3629; 21.8.1972, कालम 126 और 18.8.1980, कालम 230
32. -वही- 7.12.1960, कालम 1136-37; 18.12.1964, कालम 4367; 24.2.1965, कालम 938; 13.5.1965, कालम 1887 और 19.12.1973, कालम 219

33. राज्य सभा वाद-विवाद, 31.3.1965, कालम 5185 और 21.3.1967, कालम 316-17

34. -वही- 26.5.1971, कालम 137-41

35. -वही- 5.5.1987, कालम 182-83 और फा॰सं॰ 1/4/87-एल॰ओ॰

36. -वही- 27.8.1993, कालम 624

37. नियम 214

38. नियम समिति (3) का कार्यवृत्त, 5.8.1981

39. नियम समिति ज्ञापन 1980 का संख्यांक 32

40. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.12.1963, कालम 3749-50

41. फा॰ सं॰ 1/4/84-एल॰ओ॰ पिछले उदाहरणों के लिए **देखिए** राज्य सभा वाद-विवाद, 21.11.1969, कालम 902; 28.4.1970, कालम 142-43; 7.1.1976, कालम 133-34; 22.1.1976, कालम 131-132; 9.3.1976, कालम 126; 24.3.1976, कालम 125; 25.3.1976, कालम 116-17, 30.11.1977, कालम 138; 19.7.1978, कालम 213-14; 25.4.1979, कालम 113; 18.8.1980, कालम 230 और 25.7.1984, कालम 204

42. राज्य सभा वाद-विवाद, 31.7.1995

43. फा॰ सं॰ 1/4/95-एल॰ओ॰; राज्य सभा वाद-विवाद, 4.8.1995 और 26.8.1995

44. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.3.1976, कालम 78-80

45. नियम 215

46. संसदीय समाचार (1), 21.12.2000

47. कमेंटरी ऑन दि कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, लेखक डी॰ डी॰ बसु (पांचवां संस्करण), वोल्यूम 2, पृष्ठ 564

48. फा॰ सं॰ 10/88-टी

49. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.2.1989, कालम 35 जिसमें श्री टी॰ एस॰ गुरुंग को श्रद्धांजलि दी गई है

50. -वही- 24.11.1952, कालम 36-37

51. फा॰ सं॰ 1/4/83-एल॰ओ॰

52. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.7.1952, कालम 993

53. -वही- 18.5.1976, कालम 81-82; 24.8.1976, कालम 104 और 12.11.1976, कालम 2

54. -वही- 18.5.1976, कालम 81-82

55. -वही- 22.2.1991, कालम 166-67

56. फा॰ सं॰ 1/4/83-एल॰ओ॰

57. फा॰ सं॰ 1/4/82-एल॰ओ॰

58. फा॰ सं॰ 1/4/90-एल॰ओ॰, 1/12/93-एल॰ओ॰

59. फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेज़

60. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.2.1964, कालम 101